



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 1 जनवरी, 2018

पौष 11, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2721/79-वि-1-17-1(क) 33-2017

लखनऊ, 1 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2018]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
10 सन् 1973  
का साधारण  
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में शब्द "डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा" जहाँ कहीं अनुसूची सहित आये हों, के स्थान पर शब्द "डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा" रख दिये जाएंगे।

### उद्देश्य और कारण

डा. भीमराव आंबेडकर के नाम का हस्ताक्षर, भारत का संविधान के पृष्ठ संख्या - 254 पर हिन्दी में उल्लिखित है। आगरा विश्वविद्यालय, आगरा का नाम, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में डा० भीमराव अम्बेडकर के नाम से उल्लिखित है। यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त विश्वविद्यालय के नाम में संशोधन करके डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा रखा जाये।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

No. 2721(2)/LXXIX-V-1-17-1(ka) 33-2017

Dated Lucknow, January 1, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 29, 2017 :-

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2017

[U.P. ACT NO. 1 OF 2018]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

- Show title 1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2017.
- General Amendment of U.P. Act no. 10 of 1973 2. In the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 for the words 'Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra' wherever occurring including the Schedule the words 'Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra' shall be substituted.

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The name of Dr. Bhimrao Ambedkar is mentioned at the page no. 254 of the Constitution of India in the form of his signature in Hindi. Agra University, Agra has been named in the name of Doctor Bhimrao Ambedkar in Uttar Pradesh Universities Act, 1973. It has been decided to amend the name of the University as Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra.

The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,  
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 760 राजपत्र-(हिन्दी)-2018-(2439)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 151 सा० विधायी-2018-(2440)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)